उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(CIN : U32201UP1999SGC024928)

संख्याः 1200–गोपन–06/पाकालि/2024–9–सा0गो0/1978 **दिनांकः 15,मार्च, 2024**

प्रबन्ध निदेशक
मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर ।

विषयः– उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसके सहयोगी निगमों में अभियन्ता/गैर–अभियन्ता अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं को निर्धारित समयसीमा में प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदया/महोदय,

कृपया अवगत है कि प्रतिवेदन वर्ष 2023–24 (01.04.2023 से 31.03.2024 तक) समाप्त होने को है एवं आगामी चयन वर्ष जो 01 जुलाई 2024 से प्रारम्भ होगा, जिसमें प्रोन्नति हेतु अधिकारियों की 2023–24 की वार्षिक गोपनीय आख्यायें वांछित होगी, के दृष्टिगत, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं उसके सहयोगी निगमों में तैनात अभियन्ता/गैर–अभियन्ता अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं के अंकन हेतु समयसीमा पुर्ननिर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार प्रतिवेदन वर्ष 2023–24 हेतु वार्षिक गोपनीय आख्या प्रस्तुतीकरण हेतु निम्नवत निदेशित किया जाता हैः–

प्रतिवेदी द्वारा स्वांकन प्रस्तुत किये जाने की तिथि	प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा मूल्यांकन कर अग्रसारित किये जाने की तिथि	समीक्षक अधिकारी द्वारा मूल्यांकन कर अग्रसारित किये जाने की तिथि	सहसमीक्षक अधिकारी (यदि है तो), द्वारा मूल्यांकन कर अग्रसारित किये जाने की तिथि	अन्तिम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन कर अग्रसारित किये जाने की तिथि
15 अप्रैल, 2024	30 अप्रैल, 2024	15 मई, 2024	31 मई, 2024	15 जून, 2024

यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी उक्त निर्धारित अवधि तक अपना स्वांकन प्रपत्र, अपने द्वारा किये गये कार्यों का तथ्यात्मक विवरण सहित, प्रतिवेदक प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं कराता है तो उस अवधि के स्वमूल्यांकन करने का अधिकार से वंचित हो जायेगा तथा प्रतिवेदक/सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह इस तथ्य को इंगित करते हुये अन्य उपलब्ध सामग्री के आधार पर सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक की वार्षिक प्रविष्टि अंकित कर दें।

यदि निर्धारित अवधि के अन्दर किसी मूल्यांकन अधिकारी यथा प्रतिवेदक अधिकारी/समीक्षक अधिकारी/सहसमीक्षक अधिकारी/अन्तिम अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों की गोपनीय प्रविष्टि अंकित करने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता तो उक्त अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात उसका उस अवधि की गोपनीय प्रविष्टि अंकित करने का अधिकार स्वतः समाप्त माना जायेगा और वे वर्ष विशेष की प्रविष्टि अंकित न कर सकेंगे।

तदनुसार ऐसे मामलों में सम्बन्धित स्तर (प्रतिवेदक अधिकारी/समीक्षक अधिकारी/सहसमीक्षक अधिकारी/अन्तिम अधिकारी) द्वारा निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार प्रविष्टि अंकित करने की कार्यवाही नहीं की जाती है तो सम्बन्धित स्तर के मन्तव्य की प्रतीक्षा किये बगैर अगले स्तर (समीक्षक अधिकारी/सहसमीक्षक अधिकारी/अन्तिम अधिकारी) द्वारा सम्बन्धित प्रपत्र मंगाकर प्रविष्टि अंकित करने की कार्यवाही उनके लिये निर्धारित अवधि के भीतर सुनिश्चित की जाये।

प्रत्येक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने स्तर की प्रविष्टियाँ ससमय भरें।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

14.3.24

(कमलेश बहादुर सिंह)
निदेशक (का0 प्र0 एवं प्रशा0)

संख्याः 1200–गोपन–06 / पाकालि / 2024–9–सा0गो0 / 1978 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निजी सचिव (सम्बद्ध) अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
(2) निजी सचिव (सम्बद्ध) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
(3) निजी सचिव(सम्बद्ध) निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
(4) निजी सचिव (सम्बद्ध) समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(5) अपर सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(6) महानिदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजिनी नगर, लखनऊ।
(7) मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
(8) अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 प्रांगण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(9) समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
(10) समस्त महाप्रबन्धक (लेखाप्रशासन) / उपमहाप्रबन्धक(लेखा–प्रशासन) उ0प्र पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(11) महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(12) संयुक्त सचिव (अ0प्र0–01 / 02) / संयुक्त सचिव (सचिवालय प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(13) अधिशासी अभियन्ता(वेबसाइट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से कि संगत दिशा निर्देशों को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

R Kumar

(रवि कुमार)
उपसचिव(गोपन)